जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

:– आदेश –:

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2013–14 में मधेपुरा जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अवशेष लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु दिनांक–11.03.2014 को विशेष वितरण शिविर का आयोजन करने हेतु तिथि निर्धारित की जाती है।

उक्त तिथि को आयोजित शिविर में इंदिरा आवास के लाभुकों को पूर्व में दिए गए विभागीय निर्देश के आलोक में संबंधित लाभुकों को राशियुक्त पासबुक वितरण आवास सॉफ्ट में आर्डरशीट जेनरेट करने उपरांत ही बैंक शाखा को भेजे गये एडवाईस की प्रति प्रेषित कर वितरण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना आवास सॉफ्ट पर आर्डरशीट जेनरेट किये हस्तलिखित एडवाईस बैंक को प्रेषित नहीं करेंगे।

शिविर आयोजित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह दायित्त्व होगा कि :–

1. अपने क्षेत्रान्तर्गत जनप्रतिनिधियों को शिविर में भाग लेने हेतु अनुरोध करेंगे।
2. आयोजित शिविर की सूचना प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे। लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से चौकीदार एवं विकास मित्र के माध्यम से अलग–अलग सूचित करेंगे।
3. आयोजित शिविर हेतु शमियाना, कुर्सी, टेबुल, माइक, बैनर इत्यादि का समुचित व्यवस्था करेंगे।
4. शिविर के संबंध में पारदर्शिता बरतने हेतु तैयार किए गए लाभुकों की सूची का PDF फाईल बनाकर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क कर जिला के वेबसाइट पर अपलोड़ कराना सुनिश्चित करेंगें तथा प्रखंड पंचायत के सूचनापट्ट पर भी प्राप्त शिकायतों को लगायेंगे तथा उसका निष्पादन करेंगे।
5. सभी लाभार्थियों का राशियुक्त पासबुक वितरण के समय विडियोंग्राफी करवायेंगे। साथ ही उन लाभुकों का भी विडियोंग्राफी करायेंगे जिनके द्वारा कोई दावा आपत्ति किया गया हो।
6. लाभार्थियों को दिये जानेवाले पासबुक अनिवार्य रूप से राशि प्रविष्टि युक्त होना चाहिए। लाभार्थियों का फोटो इसप्रकार सत्यापित हो, जिसमें हस्ताक्षर फोटो एवं आवेदन पर भी होना चाहिए तथा बैंक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

7. लाभुकों को बैंक से राशि निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी तरह के बिचौलियों का समावेश नहीं हो सकें।

8. शिविर समाप्ति के उपरांत उसी दिन संध्या को अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त तिथि को आयोजित शिविर की तैयारी एवं शिविर के सफल संचालन हेतु सभी प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आयोजित शिविर का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा शिविर के दिन प्रखंड में उपस्थित रहेंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितो को दी जाए।

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक–.....483...../मधेपुरा;दिनांक–.....25/02/...../2014 ई0

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

(2)

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी
मधेपुरा